

## दूसरा अध्याय

वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

## दूसरा अध्याय

### वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण

#### 2.1 प्रस्तावना

**2.1.1** विनियोग लेखे सरकार के प्रत्येक वित्त वर्ष हेतु दत्तमत एवं प्रभारित व्यय के लेखे हैं जिनकी तुलना विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विशेष रूप से यथा उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों की राशियों से की जाती है। इन लेखाओं में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदानों, समर्पण तथा पुनिर्विनियोग स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किये जाते हैं और ये लेखे बजट की प्रभारित तथा दत्तमत मदों दोनों के सम्बन्ध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत व्यय की तुलना में वास्तविक पूंजीगत तथा राजस्व व्यय इंगित करते हैं। इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त व्यवस्था के प्रबन्धन और बजट सम्बन्धी प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिये वित्त लेखे के संपूरक हैं।

**2.1.2** भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वस्तुतः किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अधीन प्रदत्त अधिकार के अनुसार है और यह कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार जो व्यय भारित होना था वह भारित दिखाया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रकार किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है।

#### 2.2 विनियोग लेखे का सारांश

81 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध 2010-11 के दौरान वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश **तालिका-2.1** में दिया गया है।

तालिका-2.1: मूल/अनुपूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)						
	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
<b>दत्तमत</b>	I राजस्व	37,253.48	8,544.89	45,798.37	39,883.65	-5,914.72
	II पूंजीगत	8,212.52	2,546.82	10,759.34	9,217.60	-1,541.74
	III ऋण एवं अग्रिम	1,639.73	2,576.67	4,216.40	3,722.83 <sup>1</sup>	-493.57
<b>योग दत्तमत</b>		<b>47,105.73</b>	<b>13,668.38</b>	<b>60,774.11</b>	<b>52,824.08<sup>2</sup></b>	<b>-7,950.03</b>
<b>प्रभासित</b>	IV राजस्व	5,921.36	803.97	6,725.33	5,848.18	-877.15
	V पूंजीगत	9.27	6.69	15.96	26.78	+10.82
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	5,922.00	नगण्य	5,922.00	2,529.23	-3,392.77
<b>योग प्रभासित</b>		<b>11,852.63</b>	<b>810.66</b>	<b>12,663.29</b>	<b>8,404.19</b>	<b>-4,259.10</b>
<b>महायोग</b>		<b>58,958.36</b>	<b>14,479.04</b>	<b>73,437.40</b>	<b>61,228.27<sup>3</sup></b>	<b>-12,209.13</b>

**स्रोत: विनियोग लेखे**

₹ 12,209.13 करोड़ की संपूर्ण बचत राजस्व अनुभाग के अधीन 74 अनुदानों एवं 42 विनियोगों, पूंजीगत अनुभाग के अधीन 53 अनुदानों एवं सात विनियोगों में ₹ 12,221.75 करोड़ की बचतों का परिणाम थी जिसे राजस्व और पूंजीगत अनुभाग के अधीन प्रत्येक में एक विनियोग में ₹ 12.62 करोड़ के आधिक्य द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया।

नियंत्रण अधिकारियों से सारभूत परिवर्तनों के स्पष्टीकरण मांगने के लिये बचतें/आधिक्य उन्हें 19 जुलाई 2011 से 10 अगस्त 2011 तक सूचित किये गये। संबंधित विभागों द्वारा अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2011)। वित्त, आवास एवं पर्यावरण लघु सिंचाई, उच्च शिक्षा, विधि और विधायी कार्य विभागों आदि में प्रमुख मुख्य बचतें थी।



<sup>1</sup> अंतर्राज्यीय निपटान के ₹ 1.85 करोड़ सम्मिलित हैं।  
<sup>2</sup> राजस्व व्यय: ₹ 720.24 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय ₹ 450.75 करोड़ के अंतर्गत व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियों पर विचार किए बिना सकल आंकड़े।  
<sup>3</sup> वास्तविक व्यय निम्नांकित कारणों से निम्नांकित सीमा तक अधिक बताया गया:  
 अव्ययित राशि के ₹ 900.31 करोड़ (राजस्व दत्तमत अनुभाग: ₹ 264.48 करोड़ तथा पूंजीगत दत्तमत अनुभाग: ₹ 635.83 करोड़) 31 मार्च 2011 को निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्य शीर्ष 8443-सिविल जमा, 800-अन्य जमा के अंतर्गत अंतरित किये गये।  
 व्यक्तिगत जमा खाते में अंतरित ₹ 1,293.56 करोड़ की कुल राशि में से अव्ययित राशि ₹ 158.26 करोड़ वापस नहीं की गयी जिससे इतनी सीमा तक संचित निधि में व्यय अधिक दिखाया गया।  
 वर्ष 2010-11 के दौरान संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल पर आहरित राशि ₹ 1.15 करोड़ के व्यय के विस्तृत आकस्मिक व्यय बिल, उप संचालक, नेशनल कैडेट कोर, भोपाल द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इस व्यय की सत्यता नहीं आँकी जा सकी।

## 2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन

### 2.3.1 आवंटनीय प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों से प्रकट हुआ कि 27 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की बचत हुई। जो कि कुल ₹6,955.18 करोड़ थी (परिशिष्ट-2.1)। ₹ 12,209.13 करोड़ की कुल बचत (तालिका-2.1) के विरुद्ध, तालिका-2.2 में इंगित किये अनुसार सात अनुदानों तथा एक विनियोग के आठ प्रकरणों में ₹ 6,205.64 करोड़ (50.83 प्रतिशत)<sup>4</sup> की बचत हुई।

### तालिका-2.2 : ₹ 100 करोड़ तथा उससे अधिक की बचतों वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचतें
<b>राजस्व दत्तमत</b>						
1.	06-वित्त	4,308.55	1,089.16	5,397.71	3,895.86	1,501.85
2.	15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1,148.54	3.24	1,151.78	903.25	248.53
3.	21-आवास एवं पर्यावरण	221.99	6.01	228.00	81.94	146.06
4.	29-विधि और विधायी कार्य	326.09	306.74	632.83	373.13	259.70
5.	44-उच्च शिक्षा	509.67	279.65	789.32	606.61	182.71
<b>पूंजीगत-दत्तमत</b>						
6.	11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	119.16	1.00	120.16	17.81	102.35
7.	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	680.18	50.00	730.18	358.51	371.67
<b>पूंजीगत प्रभारित</b>						
8.	लोक ऋण	5,922.00	नगण्य	5,922.00	2,529.23	3,392.77
<b>योग</b>		<b>13236.18</b>	<b>1735.80</b>	<b>14971.98</b>	<b>8766.34</b>	<b>6205.64</b>

स्रोत: विनियोग लेखे.

उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए अनुदानों/विनियोगों में सारभूत बचतों के कारण निम्नानुसार हैं-

**लोक ऋण (पूंजीगत-प्रभारित)**-सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-अर्थोपाय अग्रिम (₹ 2000 करोड़) तथा कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम (₹ 2000 करोड़) के अधीन हुई जिसे 6003-राज्य सरकार के आंतरिक ऋण-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों (₹ 252 करोड़) और 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम-12वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार समेकित ऋण (₹ 363.06 करोड़) के आधिक्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों/आधिक्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2011)।

<sup>4</sup> प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक।

**06-वित्त (राजस्व दत्तमत)-** सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)-आम आदमी बीमा योजना (₹ 12.68 करोड़), 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-राज्य आयोजना (सामान्य)-अन्य व्यय (₹ 850 करोड़), 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-लघु शीर्ष 101-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 173.73 करोड़), 104-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 162.15 करोड़), 105-मध्य प्रदेश, (₹ 124.59 करोड़), एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 159.42 करोड़) एवं लघु शीर्ष 200-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को पेंशन का भुगतान (₹ 34 करोड़) के अंतर्गत हुई, जिन्हें मुख्य रूप से 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-जनश्री बीमा योजना (₹ 9.64 करोड़), 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ पेंशन-लघु शीर्ष 115-एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य (₹ 76.26 करोड़) एवं 117-अंशदायी पेंशन योजना (₹ 15.19 करोड़) के अंतर्गत आधिकार्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। बचतों एवं आधिकार्यों के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (सितम्बर 2011)।

**11-वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार (पूंजीगत दत्तमत)-** सारभूत बचतें मुख्य रूप से 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिए कर्ज-राज्य आयोजना (सामान्य)-उद्योग संवर्धन सहायता योजना (₹ 100 करोड़) के अंतर्गत हुई। सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचत भारत ओमान रिफायनरी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 में उत्पादन प्रारम्भ नहीं किये जाने से उसे ब्याज मुक्त ऋण के विमुक्त नहीं होने के कारण हुई।

**15-अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)-** सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2505-ग्रामीण रोजगार-केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उप योजना)-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 86.62 करोड़) एवं 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम-केंद्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उप योजना), मध्याह्न भोजन योजना (₹ 36.50 करोड़), केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन (₹ 162.97 करोड़) के अंतर्गत हुई। जिन्हें मुख्य रूप से 2216-आवास-इंदिरा आवास योजना (₹ 17.51 करोड़) एवं 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष योजना-बैंकवर्ड रिजन ग्राण्ड फण्ड योजना (₹ 48.50 करोड़) के अंतर्गत आधिकार्यों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गया। अनुदान संख्या 15 के अंतर्गत संबंधित विभागों द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचतें केंद्रांश नहीं प्राप्त/कम प्राप्त होने के कारण हुई।

**21- आवास एवं पर्यावरण (राजस्व दत्तमत)-**सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2217-शहरी विकास-राज्य आयोजना (सामान्य)-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना हेतु म.प्र. विकास प्राधिकरण संघ को अनुदान (₹ 138.17 करोड़) के अंतर्गत हुई। सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि कथित बचत लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेन्सी को बदलने के कारण हुई (मार्च 2011)।

**29- विधि और विधायी कार्य (राजस्व दत्तमत)-**सारभूत बचतें मुख्य रूप से 2014-न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105-सामान्य स्थापना (₹ 134.93 करोड़), ग्राम न्यायालय (₹ 10.89

करोड़) एवं न्याय व्यवस्था में सुधार (13वाँ वित्त आयोग) (₹ 79.09 करोड़) के अंतर्गत हुई। बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2011)।

**44- उच्च शिक्षा (राजस्व दत्तमत)**-सारभूत बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 2202- (सामान्य शिक्षा)-केंद्रीय क्षेत्रीय योजना (सामान्य)-बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना (₹ 20 करोड़) और कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय (₹ 144.37 करोड़) के अंतर्गत हुई। ₹ 20 करोड़ की बचत बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु वित्त विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई। ₹ 144.37 करोड़ की बचत के लिए आयुक्त/सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया (मार्च 2011) कि बचत भारत सरकार से पुनरीक्षित यू.जी.सी. वेतनमान की बकाया राशि कला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय के लिए नहीं प्राप्त होने के कारण मुख्यतः हुई (₹ 95.65 करोड़)।

**45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य (पूंजीगत दत्तमत)**- सारभूत बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-101-नाबार्ड (सामान्य)-निर्देशन एवं प्रशासन (₹ 10 करोड़), नाबार्ड से ऋण सहायता (₹ 49.35 करोड़), अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (सामान्य)-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (₹ 207.82 करोड़), ए.आई.बी.पी. योजनाएं (₹ 56.02 करोड़) एवं लघु शीर्ष 800-राज्य आयोजना (सामान्य) निर्देशन एवं प्रशासन (₹ 21.14 करोड़) एवं ए.आई.बी.पी. योजनाएं (₹ 10.67 करोड़) के अंतर्गत हुई। जल संसाधन विभाग से संबंधित अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत अनुपूरक बजट में प्रावधान किये जाने के लिए ₹ 49.35 करोड़ की बचत का समर्पण किया गया। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2011)।

### 2.3.2 सतत् बचतें

पाँच अनुदानों/विनियोगों में, विगत पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान/अनुदान के 20 प्रतिशत अथवा उससे भी अधिक की सतत् बचतें हुई थीं (तालिका-2.3)।

तालिका-2.3: 2006-11 के दौरान सतत् बचतें दर्शाने वाले अनुदानों/विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान की संख्या तथा नाम	बचतों की राशि (कोष्ठकों में प्रतिशत)				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
<b>राजस्व-दत्तमत</b>						
01	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	6.80 (35.90)	5.60 (31.91)	11.23 (33.63)	10.41 (26.35)	13.27 (31.91)
बचतें सतत रूप से मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अंतर्गत योजना "स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय" एवं मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में हुई।						

राजस्व-प्रभारित						
02	06- वित्त	3.09 (30.78)	10.44 (98.40)	10.70 (84.05)	9.99 (78.48)	12.41 (97.49)
बचतें सतत रूप से मुख्य शीर्ष 2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-101 और 102 एकीकृत मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत हुई।						
पूंजीगत-दत्तमत						
03	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	93.04 (50.68)	172.85 (54.13)	111.18 (31.74)	89.69 (25.58)	74.90 (20.68)
बचतें मुख्य रूप से मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हुई।						
04	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	16.30 (100)	4.30 (100)	2.50 (100)	2.70 (64.29)	2.93 (69.76)
बचतें सतत रूप से मुख्यतः मुख्य शीर्ष 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज के अंतर्गत योजना "प्राकृतिक आपदाओं से उद्भूत पानी की कमी के निवारण के लिए ऋण" में हुई।						
पूंजीगत-प्रभारित						
05	लोक ऋण	4,463.47 (72.05)	2,004.48 (54.45)	1,875.54 (48.88)	3,896.40 (61.94)	3,392.77 (57.29)
बचतें सतत रूप से मुख्यतः 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिये अग्रिम एवं 637-अर्थोपाय अग्रिम-योजनाओं के अंतर्गत हुई।						

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

### 2.3.3 योजनाओं के अंतर्गत अधिक व्यय

32 प्रकरणों में, ₹ 2,446.84 करोड़ का कुल व्यय प्रत्येक प्रकरण में अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 10 करोड़ अथवा उससे अधिक हुआ और कुल प्रावधानों का 20 प्रतिशत से भी अधिक हुआ। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 (क) में दिया गया है।

### 2.3.4 योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त प्रावधान

49 प्रकरणों में, प्रत्येक में ₹ पाँच करोड़ अथवा उससे अधिक का संपूर्ण प्रावधान, कुल ₹ 6,171.56 करोड़ अप्रयुक्त रहा। ब्यौरा परिशिष्ट-2.2 (ख) में दिए गए हैं।

### 2.3.5 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अनुदान/विनियोग से अधिक व्यय का राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा में नियमन कराया जाना अनिवार्य है। यद्यपि व्यय के नियमितीकरण के लिए अनुच्छेद में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तथापि लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अधिक व्यय का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। फिर भी 1993-94, 1994-95, 1997-98 से 2006-07, 2008-09 और 2009-10 के वर्षों के लिए ₹ 4,815.41 करोड़ की राशि के अधिक व्यय को अब भी नियमित किया जाना है जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। लंबित नियमितीकरण हेतु अधिक व्यय की राशियों का वर्षवार सांराश तालिका-2.4 में दिया गया है।

तालिका-2.4: पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय जिनके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष	संख्या		प्रावधान से अधिक व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	नियमन की स्थिति
	अनुदान	विनियोग		
1993-94	19	02	258.11	अप्रैल 1996 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1994-95	14	01	407.46	जून 1997 से सितम्बर 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1997-98	10	03	302.79	₹ 23.35 लाख को छोड़ कर अन्य राशियों के लिये फरवरी 2000 से मई 2010 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1998-99	12	05	1,276.46	मई 2001 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
1999-2000	11	06	1,584.94	फरवरी 2002 से जून 2003 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2000-2001	03	04	265.07	फरवरी 2004 से मई 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।



2001-2002	-	03	6.26	जून 2005 से मई 2006 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2002-2003	03	05	424.79	₹ 31,000/- को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए मार्च 2005 से सितम्बर 2007 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2003-2004	04	03	2.54	₹ 2.41 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए जनवरी 2007 से जून 2011 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2004-2005	13	02	83.66	₹ 4.44 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए फरवरी 2007 से जुलाई 2010 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2005-2006	04	02	37.58	₹ 29.23 करोड़ को छोड़ कर अन्य राशियों के लिए फरवरी 2008 से जनवरी 2009 के मध्य लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2006-2007	02	01	35.99	16 जून 2009 को लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।
2008-2009	02	02	5.80	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
2009-2010	04	निरंक	123.96	लोक लेखा समिति को संबंधित विभागों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये।
<b>योग</b>	<b>101</b>	<b>39</b>	<b>4,815.41</b>	

### 2.3.6 2010-11 के दौरान प्रावधान से आधिक्य जिनके नियमन की आवश्यकता है

2010-11 के दौरान राज्य की समेकित निधि से ₹ 12.62 करोड़ के दो विनियोगों में कुल प्राधिकृत प्रावधान से कुल आधिक्यों का सारांश **तालिका-2.5** में निहित है और संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता है।

**तालिका-2.5: 2010-11 के दौरान प्रावधानों से आधिक्य जिनके नियमितीकरण की आवश्यकता है**

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	अनुदान/विनियोग की संख्या तथा शीर्षक		कुल अनुदान/विनियोग	व्यय	आधिक्य
<b>राजस्व प्रभारित</b>					
01	23	जल संसाधन विभाग	0.20	0.22	0.02
<b>पूँजीगत प्रभारित</b>					
02	24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	11.00	23.60	12.60
<b>योग</b>			<b>11.20</b>	<b>23.82</b>	<b>12.62</b>

स्रोत: विनियोग लेखे.

उपर्युक्त आधिक्यों के कोई कारण सूचित नहीं किए गए (सितम्बर 2011)।

**2.3.7 अनावश्यक/अत्याधिक/अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान**

वर्ष के दौरान 27 प्रकरणों में प्राप्त कुल ₹ 3,019.02 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या इससे अधिक अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है। 68 प्रकरणों में, ₹ 7,771.34 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 11,330.16 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 लाख से अधिक की बचतें हुईं जिनका कुल योग ₹ 3,558.82 करोड़ था (**परिशिष्ट-2.5**)। एक प्रकरण में, अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए जिससे ₹ 12.60 करोड़ का असमाविष्ट अधिक व्यय रहा, जैसा कि **परिशिष्ट-2.6** में विवरण दिया गया है।

**2.3.8 निधियों का अत्याधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोग/समर्पण**

पुनर्विनियोग, विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें अनुमानित हैं, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है को अनुदान के भीतर निधियों का अन्तरण है। 30 प्रकरणों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोगों/समर्पणों (25 प्रतिशत या इससे अधिक के प्रकरण) के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट-2.7** में दिए गए विवरणों के अनुसार प्रत्येक योजनाओं में एक करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य हुआ।

**2.3.9 पुनर्विनियोग/समर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां**

राज्य सरकार के अनुदेशों (नवम्बर 2006 एवं मार्च 2007) तथा इसके वित्तीय नियमों के अनुसार (i) पुनर्विनियोगों/समर्पणों की समस्त संस्वीकृतियां वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी की जानी चाहिए और वे लेखाओं के समावेशन के लिये यथासमय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए (ii) योजनाओं के सम्यक्

विवरण प्रेषित किये जाने चाहिए तथा संस्वीकृतियों का योग सही होना चाहिए (iii) कोई भी पुनर्विनियोजन "पूँजीगत अनुभाग" से "राजस्व अनुभाग" में तथा "राजस्व अनुभाग" से "पूँजीगत अनुभाग" में नहीं किया जा सकेगा (iv) कोई भी पुनर्विनियोजन किसी ऐसी नई सेवा पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकेगा जिसमें कोई भी बजट प्रावधान नहीं दिया गया है (v) जिन शीर्षों से समर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किए गए हैं उनसे संबंधित शीर्षों में प्रावधान उपलब्ध होने चाहिए। वर्ष के दौरान ₹ 167.25 करोड़ के जारी किए गए पुनर्विनियोग/समर्पण का कुल 22 संस्वीकृतियां इन अनुदेशों के उल्लंघन के कारण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखाओं में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया। विवरण **परिशिष्ट - 2.8** में दिए गए हैं।

### 2.3.10 सारभूत समर्पण

- 137 योजनाओं में सारभूत समर्पण (कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक) किए गए। ₹ 2,470.83 करोड़ के कुल प्रावधानों में से ₹ 1,887.79 करोड़ (76.40 प्रतिशत) समर्पित किए गए थे, जिसमें 44 योजनाओं (₹ 434.84 करोड़) में प्रत्येक योजना में 100 प्रतिशत समर्पण के एक करोड़ या इससे अधिक का समर्पण सम्मिलित है। सारभूत समर्पणों के मुख्य कारण थे-लघु एवं मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना को क्रियान्वित करने वाली नोडल एजेंसी बदलना, भारत सरकार से केन्द्रांश/राशि प्राप्त नहीं होना, भू-परिवहन मंत्रालय द्वारा सीधे राशि प्रदाय किया जाना, 13वें वित्त आयोग द्वारा प्रावधानित राशि वित्त विभाग द्वारा विमुक्त नहीं किया जाना, देयक नहीं प्राप्त होने के कारण, ट्राईफेक (कार्पोरेशन) को ऋण का भुगतान नहीं होना, आदि। बचे हुए 11 प्रकरणों (**परिशिष्ट 2.9**) में समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये (सितम्बर 2011)।
- वर्ष 2010-11 का बजट प्रस्तुत करते हुए, वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जा रही है। प्रथम चरण में यह 10 जिलों में लागू की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए ₹ 60 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। ₹ 60 करोड़ अव्ययित रहे, इसमें से ₹ 47.13 करोड़ समर्पण (मार्च 2011) किये गये और मांग संख्या 19-लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत ₹ 10.70 करोड़ योजना 2210-01-110-0101-8798-अस्पतालों का उन्नयन और ₹ 2.17 करोड़, योजना 2210-03-103-0101-7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन में पुनर्विनियोजित किए गये।

### 2.3.11 अवास्तविक और अविवेकपूर्ण समर्पण

आठ प्रकरणों में, समर्पित राशियां वास्तविक बचत से अधिक (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख अथवा इससे अधिक) थीं जिनसे इन अनुदानों में बजटीय नियंत्रण में कमी अथवा अपर्याप्तता प्रकट हुई। ₹ 825.96 करोड़ की बचतों के विरुद्ध समर्पित राशि ₹ 899.05 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 73.09 करोड़ का अत्यधिक समर्पण हुआ। विवरण **परिशिष्ट-2.10** में दिए गए हैं।

### 2.3.12 समर्पित न की गई प्रत्याशित बचतें

राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार (मार्च 2007), व्यय करने वाले विभागों को चाहिए कि जैसे ही बचतों का पूर्वानुमान हो वैसे ही तुरंत अनुदानों/विनियोगों अथवा उसके भाग को समर्पित करना अपेक्षित है। 2010-11 के वर्ष की समाप्ति पर, तथापि 24 अनुदानों और 13 विनियोगों में बचतें हुईं परंतु उनमें किसी भी भाग को संबंधित विभागों द्वारा समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में समाविष्ट राशि ₹ 3,802.87 करोड़ (₹ 12,209.13 करोड़ की कुल बचतों का 31.15 प्रतिशत) थी (परिशिष्ट-2.11)।

इसी प्रकार, प्रत्येक अनुदान/विनियोग में ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचतों के 51 अन्य अनुदानों/विनियोगों के अधीन ₹ 7,081.46 करोड़ की कुल बचतों में से, ₹ 3,050.39 करोड़ की कुल राशि (इन योजनाओं में कुल बचतों का 43.08 प्रतिशत) समर्पित नहीं की गई थी, जिसके विवरण **परिशिष्ट-2.12** में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 60 मुख्य शीर्षों में, (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों का समर्पण), ₹ 3,648.03 करोड़ की कुल राशि (**परिशिष्ट-2.13**) का समर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियन्त्रण और यह तथ्य प्रकट हुआ कि इन निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

### 2.3.13 व्यय की अत्यधिकता

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता के प्रावधानों एवं दिनांक 23 मार्च 1989 के अनुदेशों के अनुसार, वित्त वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अत्यधिकता को टाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.14** में सूचीबद्ध 71 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक और कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक का व्यय अर्थात् कुल ₹ 5,770.88 करोड़ (इन प्रकरणों के कुल व्यय का 68.30 प्रतिशत) मार्च 2011 में व्यय किए गए।

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता (म.प्र.को.स.) भाग-1 के उप-नियम 284 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राशि कोषालय से तब तक आहरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण की जाना अपेक्षित न हो। 2010-11 के दौरान कुल ₹ 900.31 करोड़ 31 मार्च 2011 को आहरित किया गया तथा लेखे में संगत योजनाओं के अंतर्गत अंतिम व्यय दिखाते हुए 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरित किया गया। **परिशिष्ट 2.15** में दिए गए विवरण के अनुसार, केंद्रीय योजनाओं के कुल ₹ 719.45 करोड़ का अंतरण इसमें शामिल है। राशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए इस प्रकार केंद्रीय निधियों का आहरण म.प्र.को.सं. के नियम 284 के प्रावधान के प्रतिकूल है।

**तालिका-2.6** में उन मुख्य शीर्षों को प्रस्तुत किया गया है जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय या तो वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अथवा अंतिम माह के दौरान किया गया था।

तालिका-2.6: वित्त वर्ष 2010-11 के अन्त में व्यय की अधिकता वाले प्रकरण

(₹ करोड़ में)

सरल क्रमांक	मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय का प्रतिशतता
1.	2810	21.28	16.76	78.76	15.34	72.09
2.	4055	20.15	20.15	100	19.15	95.04
3.	4202	271.16	185.68	68.48	181.73	67.02
4.	4210	114.87	70.11	61.03	62.96	54.81
5.	4235	158.47	152.12	95.99	149.47	94.32
6.	4705	102.96	88.25	85.71	83.28	80.89
7.	4801	409.63	362.73	88.55	283.04	69.10
8.	5452	32.86	20.93	63.69	18.78	57.15
9.	6801	3,475.46	2,423.28	69.73	2,060.61	59.29
	<b>योग</b>	<b>4,606.84</b>	<b>3,340.01</b>	<b>72.50</b>	<b>2,874.36</b>	<b>62.39</b>

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्राप्त सूचना

मार्च के महीने में किए गए व्यय की प्रतिशतता, नौ मुख्य शीर्षों में किए गए कुल व्यय की 54 प्रतिशत से 96 प्रतिशत के मध्य थी जो कि प्रतिमाह 8.33 की अनुपातिक प्रतिशतता के विरुद्ध थी, जो त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और व्यय के प्रवाह में एकरूपता न होना दर्शाता है जो कि बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है।

### 2.3.14 अनुदान के लिए माँग में बजट प्रावधानों का गलत वर्गीकरण

बजट में अनुदानों के विवरण-पत्रक की लेखापरीक्षा के दौरान यह ध्यान में आया कि मुख्य शीर्षों 2011, 2054, 2055, 2203, 2204, 2210, 2211, 2215, 2230, 2402, 2406, 3475 के अधीन उद्देश्य शीर्षों 63-मशीन एवं 64-मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत 25 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक के प्रावधान, कुल योग ₹ 166.66 करोड़ राजस्व व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किये गये थे। मुख्य शीर्षों 4202 और 4515 के अधीन उद्देश्य शीर्ष 42-सहायता अनुदान के अंतर्गत पाँच अन्य योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ अथवा अधिक का प्रावधान, कुल योग ₹ 114.71 करोड़ को पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकृत किया गया था। ब्यौरे दिए गए हैं (परिशिष्ट 2.16)।

## 2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा और तीन अनुदानों<sup>5</sup> से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच (जून/जुलाई 2011) संचालित की गई थी।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल और संचालक, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, अनुदान संख्या 13 के नियंत्रण अधिकारी हैं, सदस्य वित्त, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल, अनुदान संख्या 48 के नियंत्रण अधिकारी हैं और आयुक्त/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अनुदान संख्या 74 के नियंत्रण अधिकारी हैं। निम्न तथ्य ध्यान में आए।

### 2.4.1 बजट और बजटीय नियंत्रण की दोषपूर्ण तैयारी

- अनुदानों<sup>5</sup> की नमूना जाँच और विनियोजन लेखे 2010-11 की समीक्षा में प्रकट हुआ कि बजट अनुमान अवास्तविक थे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत तीन अनुदानों (13, 48 और 74) में ₹ आठ करोड़ से ₹ 430 करोड़ के मध्य की सीमा में कुल ₹ 522.49 करोड़ की निवल बचतें हुईं।
- 2010-11 के दौरान नमूना जाँच किए गए अनुदानों की 20 योजनाओं के अधीन प्रत्येक में ₹ दो करोड़ अथवा अधिक की तथा प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक की महत्वपूर्ण बचतें हुईं जो कुल ₹ 540.80 करोड़ थी जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए अनुसार है। 10 योजनाओं के अधीन 2010-11 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की तथा कुल ₹ 235.51 करोड़ के महत्वपूर्ण आधिक्य ध्यान में आए जिसका ब्यौरा **परिशिष्ट 2.18** में दिया गया है।
- दो योजनाओं में, कुल ₹ 10.01 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए तथा तीन दूसरी योजनाओं में, अनुपूरक प्रावधान ₹ 44.72 करोड़ से अधिक थे। एक अन्य योजना में अनुपूरक अनुदान ₹ 12.47 करोड़ के समग्र आधिक्य की दृष्टि से अपर्याप्त थे। ब्यौरे **परिशिष्ट-2.19** में दिए गए हैं।
- अनुदान संख्या 74 के अंतर्गत, निम्न योजनाओं में निधियों के समर्पण अवास्तविक थे। इससे विभाग को अप्रभावी अनुवीक्षण (मॉनीटरिंग) दृष्टिगोचर हुआ।
  - (i) 2235-60-196-0101-7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अधीन, ₹ 3.23 करोड़ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹ 6.57 करोड़ की राशि अवास्तविक रूप से समर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.34 करोड़ के अंतिम आधिक्य हुए।
  - (ii) 2202-02-191-8403-शिक्षाकर्मियों के वेतन के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत ₹ 44.92 करोड़ के आधिक्य के बावजूद ₹ 16.44 करोड़ की एक

<sup>5</sup> 13-कृषक कल्याण और कृषि विकास (राजस्व दत्तमत), 48-नर्मदा घाटी विकास (राजस्व दत्तमत), 74-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता (राजस्व दत्तमत)

और राशि अवास्तविक रूप से समर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 61.36 करोड़ का अंतिम आधिक्य हुआ।

### 2.4.2 सिविल जमा के अंतर्गत निधियों का संचयन

वित्तीय नियमावली कोषालय से धन के आहरण को तब तक निषेध करते हैं जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यकता न हो। अनुदान संख्या 13 से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि धन का आहरण करके बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए लेखे में अंतिम व्यय के रूप में दर्शाकर सिविल जमा के अंतर्गत जमा किया गया था।

संचालक, कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल और संचालक, कृषि, कृषक कल्याण एवं कृषि विकास, भोपाल द्वारा क्रमशः ₹ 19.20 करोड़ एवं ₹ 92.57 करोड़ की अव्ययित राशि जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित थी, 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2011 को जमा की गई थी। इससे 2010-11 के दौरान योजना के अंतर्गत व्यय को उस सीमा तक बढ़ा दिया। संचालक, कृषि अभियांत्रिकी ने बताया (जुलाई 2011) कि चूकि सामग्री के क्रय के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे, इसलिये 2011-12 के दौरान प्राप्त होने वाले बिलों के भुगतान के लिए राशि को सिविल जमा में रखा गया था। संचालक, कृषि, कृषक कल्याण ने बताया (जुलाई 2011) कि अप्रैल 2011 में हितग्राही उन्मुखी परियोजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए राशि को जमा लेखे में रखा गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अप्रयुक्त निधियों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पित अथवा वापस कर देना चाहिए और अगले वर्ष माँग की जानी चाहिए तथा मध्य प्रदेश कोष संहिता खंड-1 के नियम 284 के अनुसार धन का आहरण तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि तत्काल संवितरण के लिए आवश्यकता न हो।

### 2.4.3 मार्च में व्यय की अत्यधिकता

वर्ष पर्यन्त व्यय का नियमित प्रवाह बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता है। परिशिष्ट 2.20 में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनुदान संख्या 13 और 74 के अंतर्गत 15 योजनाओं में मार्च 2011 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में व्यय ₹ 10 लाख अथवा अधिक था जिसका कुल योग ₹ 177.19 करोड़ और कुल व्यय का 39 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की सीमा में था। इससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण और अनुवीक्षण का पता चला।

अनुदान संख्या 13 के नियंत्रण अधिकारियों ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत निधियों की विमुक्ति विलम्ब में की गई थी और बिल भी फरवरी एवं मार्च में विलम्ब से प्राप्त हुए थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार को निधियों की समय से विमुक्ति और उसके उपयोग के लिए कार्रवाई की पहल करना चाहिए। अनुदान संख्या 74 के नियंत्रण अधिकारी द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। मामला सरकार को भेजा गया था (अगस्त और सितम्बर 2011); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

## 2.5 निष्कर्ष

2010-11 के दौरान ₹ 73,437 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 61,228 करोड़ का व्यय किया गया था। 2010-11 के दौरान ₹ 14,479 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 12,209 करोड़ की समग्र बचत हुई थी। मुख्य बचतें वित्त, आवास एवं पर्यावरण, लघु सिंचाई, उच्च शिक्षा, विधि और विधायी कार्य विभाग इत्यादि से संबंधित थीं। ₹ 1,058 करोड़ की एक राशि लोक लेखे में सिविल जमा में अन्तरित की गई थी और ₹ 3,648 करोड़ वित्तीय वर्ष में अंतिम दिवस पर समर्पित किए गए थे। वित्तीय वर्ष के अंतिम चरणों में व्यय की बहुलता भी थी। 30 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोग/समर्पण अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया था जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान से अधिक बचत/आधिक्य हुए।

2010-11 के दौरान किए गए ₹ 12.62 करोड़ और 1993-94 से 2009-10 तक की अवधि से संबंधित ₹ 4,815.41 करोड़ के आधिक्य व्यय के नियमितीकरण की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन आवश्यक थी।

## 2.6 अनुशंसाएं

समस्त सरकारी विभागों में बजटीय नियंत्रण को व्यय के उचित अनुवीक्षण, निधियों के समय से समर्पण और वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की बहुलता का परिहार करके सुदृढ़ किया जाना चाहिए। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक अनुपूरक और पुनर्विनियोग को टालना चाहिए। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निधियों के पुनर्विनियोग/समर्पण को भी टाले जाने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष की नितान्त समाप्ति पर लेखे में व्यय को अंतिम रूप से दर्शाए जाने के पश्चात्, सिविल जमा के अंतर्गत निधियों के अंतरण की पद्धति की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिए। 1993-94 से लंबित आधिक्य व्यय के नियमितीकरण के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।